

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2017/

दिनांक -

प्रार्थनी

बनाम

विप्रार्थीगण

1 गेनीदेवी पत्नी
नवलाराम जाति
जाट निवासी
रिडमलाणियों की
ढाणी कगाऊ
तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 रावता पुत्र ईशरा 2 फतु पत्नी गोरधन 3 पदमा 4 रूपा
पिसरान गोरधन 5 सुरती पत्नी लाधू 6 मुकना 7 उम्मेदा
8 छगना पिसरान लाधू जाति मेघवाल निवासी रिडमलाणियों की
ढाणी, कगाऊ 9 हुकमा 10 गेना 11 तोगा 12 दमा पिसरान
सवाई 13 चुन्नी देवी पत्नी राणा 14 श्रवण पुत्र राणा 15 राजू 16
प्रहलाद पिसरान शिवा 17 धापू पत्नी किशना 18 सुखदेव पत्नी
किशना जाति सुथार निवासी रिडमलाणियों की ढाणी, कगाऊ 19
देदा 20 सोना 21 दमा पिसरान शेरा 22 जगमाल पुत्र हेराज 23
धर्मा पुत्र पूनमा 24 देवा पुत्र पूर्णा जाति जाट निवासी
सादुलोणियों का तला, सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 1306/2017

दिनांक-26.10.17

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रिडमलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र कगाऊ तहसील व
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 164/10 रकबा 39.15 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थनी व विप्रार्थीगण को
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर
सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा ज़रूरी निर्देश दिनांक 07.09.
1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क
रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थनी
द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 26/10/17

क्रमांक :- रीडर/2017/2304-57

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कगाऊ तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. गेनीदेवी पत्नी नवलाराम जाति जाट निवासी रिडमलाणियों की ढाणी कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी रावता पुत्र ईशरा वगैराह जाति मेघवाल निवासी रिडमलाणियों की ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर